न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 270/2016
आरसीएमएस नं. 2016/00121

सुरजीत कौर पुत्री बुध सिंह उर्फ बुधराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 19 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

–अपीलान्ट

बनाम

1. अमरसिंह
2. भजनलाल
3. सुखलाल

} पुत्रगण बिशन सिंह

4. बलेश बाई पुत्री बिशन सिह

} जाति बावरी निवासी तख्तहजारा सोहनेवाला चक 8 एसडीएस त0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5. भगवन्ती देवी
6. राजी
7. जंगीरो
8. कर्मो देवी

} पुत्रियां गुरदयाल सिह

9. गुरदत
10. सन्तराम

} पुत्रगण गुरदयाल सिह

} जाति बावरी निवासी चक 6 केएसडी तहसील अनूपगढ

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 14.01.2016
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
प्रकरण संख्या 129/2010 बअनवान सुरजीत कौर बनाम अमर सिह आदि

श्री मोहन मुंजाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री अजयसिंह चौहान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 10
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक – 17.01.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन कियाकि वादीया के पिता बुधराम के नाम से चक 47 एसएसडब्ल्यू के प. नं. 63/331 के किला नं. 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 कुल 15 बीघा कृषि भूम आवंटन शुदा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया के पिता श्री बुधराम अपने वृद्धावस्था में वादीया के साथ रहते थे तथा वादीया की सेवा चाकरी से खुश होकर वादीया के पिता बुधराम ने प्रश्नगत भूमि की वसीयत दिनांक 08.12.1987 वादीया अर्थात अपीलाण्ट के पक्ष में की हुई है। वादीया के पिता के देहान्त के उपरान्त कृषि भूमि वादीया के निहित हो गई है। अतः प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया कि वादीया बुधराम की पुत्री नहीं है वह किसी बुधसिह की पुत्री है। एकमात्र पुत्री होने के तथ्य गलत अंकित किये हैं वादीया बुधराम की भूमि को हडप करने के लिए उसने गलत नाम बुधसिह मृत्यु प्रमाण–पत्र में अंकित करवाया है। वादीया का पति बुधराम का नौकर था उसकी भूमि की देखभाल करता था। प्रतिवादीगण के नाना बुधराम की मृत्यु कारित कर दी व बीमारी का बहाना बना दिया। प्रतिवादीगण के नाना ने अनावश्यक विवादों से बचाने के लिए अपने जीवनकाल में ही प्रश्नगत 15 बीघाभूमि की वसयीत प्रतिवादी सं0 1 से 4 के पक्ष में 1/2 हिस्सा बहिब व प्रतिवादी सं0 5 से 10 के पक्ष में 1/2 ब.हि.ब. करवा दी थी। वादीया का वाद मिथ्या है। वादीया का वाद खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वादीया का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत है। वादीया व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य का विश्लेषण किये बिना ही निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत भूमि की वसीयत दिनांक 08.12.1987 वादीया के पक्ष में किया जाना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। वादीया का पीहर का नाम छिन्दी होना वादीया का ससुराल में नाम सुरजीत कौर होना अर्थात सुरजीतकौर व छिन्दी दोनों नाम वादीया के हाना साक्ष्य से बखूबी साबित है। वसीयत को बखूबी साबित किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट प्रतिवादीगण के नाना का नाम बुधसिह नहीं बल्कि बुधराम पुत्र हीराराम था जिनकी जायज व कानूनी वारीसान प्रतिवादी सं0 1 से 4 की मता सन्ती व प्रतिवादी सं0 5 ता 10 की माता जीता तथा एक अन्य पुत्री छिन्दी थी। छिन्दी शादी के बाद से अपने पति के साथ अन्य राज्य में चली गई जो शादी के बाद अपने पिता बुधराम व अन्य को मिलने कभी नही आई ना ही उसका कोई नाम पता मालूम है। सुरजीत कोर बुधराम की पुत्री नहीं है बल्कि कोई बुधसिह नाम के व्यक्ति की पुत्री है। बुधराम की तीनों पुत्रियों का निधन हो चुका है। वादीया का पति बन्तासिह हम प्रतिवादीगण के नाना का नौकर था जो हम प्रतिवादीगण के नाना के जीवनकाल में उनकी भूमि की सार संभाल करता था। बुधराम ग्राम गुडिया का निवासी था वहां पर उनकी वोटरलिस्ट में नाम अंकित है। वादीया ने अपने पति के साथ मिलीभगत कर हम प्रतिवादीगण के नाना बुधराम की मृत्यु कारित कर दी व बीमारी का बहाना बना दिया बुधाराम के अंतिम संस्कार से पूर्व डाक्टरी मुआयना नहीं करवाया गया ना ही हम प्रतिवादीगण के पितागण को व अन्य रिश्तादारों को बुलाया तथा गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया एवं मिलीभगत कर मिलते जुलते नाम का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा लिया जबकि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण के नाना ने प्रतिवादीगण को वसीयत के द्वारा दी हुई है। अपीलाण्ट वादीया का प्रश्नगत भूमि पर काई हक हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अपना वाद वसीयत दिनांक 08.12.1987 के आधार पर पेश किया है जिसमें उसका कथन है कि वसयीत के द्वारा उसके पिता बुधसिंह ने यह भूमि उसको दे दी थी। वादीया का वाद विचारण न्यायालय ने सबूतों के आधार पर खारिज किया है। रेस्पोडेण्ट प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय प्रतिवाद पेश था जिसमें बुधसिह व बुधराम अलग अलग होने का कथन किया एवं वादीया को बुधराम की पुत्री होने के कारण उसका उसका कोई हक हिस्सा नही होना बताया तथा कथन कियाकि उनके नाना बुधराम ने प्रश्नगत भूम की वसीयत प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में कर रखी है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वादीया के वाद के साथ प्रतिवादीगण का वाद भी खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय ने कुल 5 तनकीयात कायम की थी। मगर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी भी तनकी का विवेचन नही किया है। जब तनकीयात कायम की जा चुकी हैं तो कानूनन तनकीवाईज निर्णय पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य हैं एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रेतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर तनकीवाईज विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनीया)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ